

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत, तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

(राज्य पुनर्गठन प्रभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक दिसम्बर, 2008

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

2. मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून ।

विषय:- राज्य परामर्शदात्री समिति की 01.07.2008को आयोजित बैठक के अनुशंसा आधारित सिंचाई विभाग के अभियंत्रण वर्ग के कुछ लम्बित मामलों में राज्य आबंटन विषयक ।

महोदय,

सिंचाई विभाग के कार्मिकों का ज्यादातर अंतिम आबंटन भारत सरकार का दिनांक 11.05.2006 का आदेश सं० 02/2006 (फाईल सं० 27/2/2006-SRS) के तहत किया जा चुका है । राज्य परामर्शदात्री समिति, उत्तर प्रदेश की 01.07.2008 को आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग के अभियंत्रण वर्ग के लम्बित मामलों से निम्न लिखित कार्मिकों के सुविचारित एवं अनुशंसित अभ्यावेदनों पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाने के बाद केन्द्र सरकार ने इन अधिकारियों के संबंध में अंतिम आबंटन उनके नाम के सामने दर्शाए गये राज्य में करने का निर्णय लिया है । :-

| क्र०सं० | नाम एवं पदनाम (सर्व श्री) | आबंटित राज्य | आबंटन का आधार |
|---------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. | विकास चन्द्र आर्य, स० अ० (सिविल) | उत्तर प्रदेश | चिकित्सा आधार |
| 2. | दिनेश कुमार त्रिपाठी, स० अ० (सिविल) | उत्तर प्रदेश | चिकित्सा आधार (विकलांगता) |
| 3. | दीक्षान्त, स० अ०(सिविल) | उत्तर प्रदेश | मूल निवासी |
| 4. | महेन्द्र सिंह, स० अ०(सिविल) | उत्तर प्रदेश | चिकित्सा आधार |

भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय से संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा दें ।


1120
09/12/08

भवदीय,
(वी० पेहन्ना)
उपसचिव, भारत सरकार ।

प्रतिलिपि प्रेषित-

- श्री आर० एम० श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विभाग, लखनऊ ।
- श्री शतृघ्न सिंह, सचिव, उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विभाग, देहरादून ।
- प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
- प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
- व्यक्ति विशेष (

राज्य पुनर्गठन विभाग के जरिए
जन्यभ, लखनऊ ।



उप सचिव, भारत सरकार ।
(वी० पेहन्ना)

1) श्री विकास चन्द्र आर्य, 2) श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी, 3) श्री दीक्षान्त, 4) श्री महेन्द्र सिंह.